8.2.21	पत्रावली पेश की गई प्रतिवादी नं. 6 उप0/ बहस विद्वान अधिवक्ता प्रति0 सुनवाई प्रकरण का सम्यक अवलोकन किया/ वादपत्र के साथ अन्य वादपत्र एवं जवाब मय काउंटर क्लेम, प्रकरण में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	शपथ-पत्रादि पर विचार किया गया। प्रकरण में वादिया द्वारा वादपत्र वाद 58/13 एवं अन्य कनेक्ट वादीगण 139/2014 को पिछड़ा किया जा चुका है।	
	प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।	
	तनकीह् क्र. 1:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिनी पर था। वादिनी द्वारा अपना वाद विड्रॉ कर लिया, तथा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की।	
	लिहाजा यह तनकी खिलाफ वादिनी तय की जाती है।	
	तनकी नम्बर 2:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर था। प्रकरण में अन्य कन्सोलीडेट वाद सं. 139/14 कौशल्याबाई बनाम ऋषीचंद में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी बन्दोबस्त 2004-24 खाता नं 1017 से प्रमाणित होता है, कि बाराराता कृषि ग्राम जुल्मी ख.नं. 1520 व 3363 किता 2 रकबा 1.18 है पर वादिया 1/6 हिस्से के रूप में दर्ज है वादिया को प्रथक से घोषणा करवाने की आवश्यकता नहीं होने से उक्त अनुतोष दिया जाना	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | अहलकार और हुक्म की तामील में जारी

उचित उनीत नहीं होगा। वादिया 1/6 की अभिलिखित खातेदार दर्ज है।

यह तनकी इसी प्रकार अन्य तनकियात के विवेचनाधीन तय की जाती है।

तनकी नम्बर 3 :— इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रति० पर था। प्रति० द्वारा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इस वाद एवं कन्सोलीडेट वाद में प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर यह तय है, कि जमाबंदी में वादग्रस्त कृषि पर प्रति० नं. 6 हिस्सा 2/6 रूप में दर्ज रिकार्ड है।

इस प्रकार प्रति० 6 को पृथक से घोषणा की आवश्यकता नहीं है। वादी का वादग्रस्त कृषि में 1/6 हिस्सा दर्ज है तथा उसी अनुसार वह किब्जत का हकदार है।

अतः यह तनकी इसी प्रकार बहक प्रतिवादी नं. 6 तय की जाती है।

तनकी नं० 4 :— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिनी पर था। वादिनी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, तथा अपना वाद बिक्री का लिया। साक्ष्याभाव में यह तनकी खिलाफ वादिनी बहक प्रति. तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

हुक्म		हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद बिन्दु नं. 6:— इस वादबिन्दु को सिद्ध करने का भार प्रति॰ 6 पर था। प्रति॰ नं. 6 द्वारा शपथपत्र के अतिरिक्त ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह तय किया जा सके कि प्रकरण उक्त दोष से अर्थात Non-joinder of parties के दोष से ग्रसित है। अतः यह वादबिन्दु खिलाफ प्रति॰ 6 तय की जाती है। वाद बिन्दु नं. 6:— वादबिन्दु नम्बर 1 से 5 के विवेचन तथा विश्लेषण के आधार पर यह तय है कि वादियां ने वाद सिद्ध कर दिया तथा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। वहीं प्रति॰ द्वारा भी मात्र शपथ पत्र ही पेश किये। अतः वाद अर्जी कन्सोलीडेट है उसके आधार पर यह प्रमाणित होता है, कि वादिया वारसान उक्त की हिस्सा 1/6 की तथा प्रति॰ नं. 6 हिस्सा 1/6 की अविभाजित सह खातेदार थी उक्त कृषि का प्रतिवादी अपने स्तर तक विभाजन का हकदार थी। अतः वादबिन्दु नम्बर 1 से 6 के विश्लेषण के आधार पर वाद वादीयान ... स्वीकार तथा प्राथमिक डिक्री / आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	अतः गुणावगुण के आधार पर वाद वादिया खारिज तथा काउंटर क्लेम प्रतिवादी नं० 6 अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि वादग्रस्त कृषि ग्राम जुल्मी ख.नं. 1520, 3363 किता 2 रकबा 1.18 हे.का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सैटिलिंग विभाजन किया जाता है। तरमीमकार रा० मण्डी R.T. Act 1955 राजस्व मण्डल नियम 18-सं.21 के प्रावधानों के अनुसार उक्त कृषि के पक्षकारों के मध्य विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करे। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो। तहरीर जारी होकर 25/2/21 को पेश हो।	
	निर्णय आज दि० 8/2/21 को सरे इजलास सुनाया गया।	
	(दशरथ दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

Form Civil
Part V-(I)

प्रारम्भिक डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, ज़ाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी

ब इजलास देशल दान (I.A.S.)

कन्याबाई बनाम ईश्वर

(2013 / 00160)

दावा बाबत ~~88-89-53-188~~ R.T. Act 1955

मुकद्दमा नं. 58 सन् 2013

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू मुझ देशल दान (I.A.S.)

बहाजरी XXX मिनजानिब मुद्दई व श्री जितेन्द्र आली एड.

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

बाद वादिया खारिज तथा फाउंटर क्लेम प्रति० नं. 6 अंशतः स्वीकार किया जाकर यह
आदेश दिये जाते हैं, कि वादग्रस्त भूमि ग्राम फुल्ली खसरा नं. 1520 3363 किता 2 रकबा 1.186
का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार होल्डिंग विभाजन किया जाता है। तहसीलदार
रामगंजमण्डी R.T. Act. 1955 तथा भू०रा० नियम 1958 के नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार
उक्त भूमि का उक्त पक्षकारों के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश करें।

बीज मुबालिग — बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद ब शरह — फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक — को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 8 माह 2 2021.

को जारी की गई।

महर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान ...	—	—
मीजान....	—	—			

नोटः—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

रा. मु. जो. 139-2006-1,00,000 फार्म

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी